रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2008/वैशाख 1, 1930
No. 209] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2008/VAISAKHA 1, 1930

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2008

सा.का.नि. 292(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) नियमावली, 2002 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) नियमावली, 2002 में,—

(i) अनुसूची II के भाग II में पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित होगा अर्थात् :—

"**शैक्षिक अहर्ता :**

सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड IV के ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को भारत में केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी संस्थान अथ्वा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से

एक मुख्य विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ स्नातक की डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में गणित (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में वाणिज्य (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा)

टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य हों तो आयोग स्वविवेक से शैक्षिक अहर्ता में छूट दे सकता है ।"

(ii) कॉलम 8 के अंतर्गत सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड IV के पद के लिए अनुसूची-III में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"एक मुख्य विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ स्नातक की डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में गणित (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक

डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में वाणिज्य (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा)"

[फा. सं. 11012/1/2007-अ.सां.से.]

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :–मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 99(अ), दिनांक 12 फरवरी, 2002 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा जिसमें बाद में संख्या सा. का. नि. 301 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2003 तथा संख्या सा. का. नि. 690(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 के अंतर्गत संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2008

G.S.R. 292(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Subordinate Statistical Service (Group C) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002,—

(i) in Part II of Schedule II, for paragraph 5, the following shall be substituted, namely :—

"Educational Qualification :

A candidate for direct recruitment to the grade of Statistical Investigator Grade-IV of the service must haveobtained a—

Bachelor's Degree with Statistics as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise) or

Bachelor's Degree with Mathematics (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be) as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise) or

Bachelor's Degree with Economics (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be) as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise) or

Bachelor's Degree with Commerce (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be) as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise).

from a University established or incorporated by a Central Act or State Act in India or such institutions declared as deemed to be Universities under Section 3 of the Univeersity Grant Commission Act, 1956 or a foreign University approved by the Central Government from time to time.

Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well qualified."

(ii) in schedule III, against the post of Statisical Investigator Grade IV, under column 8, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Bachelor's Degree with Statistics as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise) or

Bachelor's Degree with Mathematics (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be) as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise) or

Bachelor's Degree with Economics (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be) as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise) or

Bachelor's Degree with Commerce (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be) as one of the main subjects (Subject Statistics means any branch of Statistics, applied or otherwise)."

[F. No. 11012/1/2007-SSS]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number GSR 99(E), dated the 12th February, 2002 and subsequently amended *vide* number GSR 301(E), dated the 4th April, 2003 and number GSR 690(E), dated the 31st October, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.